

परिशिष्ट - 1

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सात'

प्रश्न सं. [क. 2653]

[23/3/2017]

विधानमन्त्र प्रश्न सं 2653 ता. (संको.) की प्रतीति

SEASON : KHARIF 2015

TEHSIL	Number of Farmers Insured	Areas Insured ha.	Sum Insured	Gross Premium	Net Premium Payable	Claim Amount	Benefitted Farmers
BARGHAT	14885	27864	272758768	6820210	6457705	70160599	104475
CHHAPARA	4698	11566	150286538	4599516	4517301	69301799	1233
DHANAURA	2661	8250	84406652	2128836	2110169	55188740	1487
GHANSAUR	1392	3487	21736686	543417	530000	6116648	1175
KEOLARI	10504	22261	261552717	6538818	6317821	129212056	10504
KURAI	6772	17816	152296906	3807424	3747467	27926847	1335
LAKHNADUAN	3737	9765	107471474	3144573	3089114	81059649	1722
SEONI	22451	61181	774080838	26416317	25798093	461843888	18866
Grand Total	67100	162190	1824590578	53999111	52567672	900810227	54047

SEASON : RABI 2015-16

TEHSIL	Sum of Number of Farmers - Sum	Sum of Areas Insured	Sum of Sum Insured	Sum of Gross Premium	Sum of Net Premium Payable
BARGHAT	443	760	7943869	119158	113851
CHHAPARA	3151	6281	95796632	1468838	1429291
DHANAURA	2533	7755	99371869	1504423	1489161
GHANSAUR	893	1564	15538958	234333	225616
KEOLARI	5078	14104	205856042	3087842	3033592
KURAI	1941	4755	62039817	930655	913465
LAKHNADUAN	4570	9958	128317188	1966336	1930762
SEONI	17413	43460	534996922	8168667	7983957
Grand Total	36022	88638	1149861297	17480252	17119695

note : rabi 2015-16 claims under process, figures are provisional.

SEASON : KHARIF 2016

Tehsil	No. of farmers insured	Area Insured	Sum Insured	Gross Premium	Net Premium
BARGHAT	12722	20259	409331606	56549724	8186649
CHHAPARA	7948	11636	235608509	22807308	4712176
DHANAURA	7101	13292	230799199	28578004	4615999
GHANSAUR	1407	8591	150339000	22550850	3006794
KEOLARI	11011	21136	419993092	56001061	8399884
KURAI	7480	14004	253821198	30083409	5076432
LAKHNADUAN	2116	11879	250008157	42426936	5000186
SEONI	14771	61117	1159426338	167499542	23188532
Grand Total	40025	168402	3119384395	427371820	62387795

note : claims under process (figures are provisional)

अतिरिक्त
 १.० १.० शीत
 १.० १.० शीत



परिशिष्ट - 1 (कुमकुट - 1)

क

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति प्रक्रिया

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के सहयोग से 'एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड' (ए.आई.सी.) द्वारा राज्य में क्रियान्वित की जा रही है। योजना की इकाई तहसील/पटवारी हल्का है। अतः 'व्यक्तिगत क्षति' होने पर क्षतिपूर्ति देय नहीं होती है। फसल बीमा योजनान्तर्गत केवल खेतों में खड़ी फसल का ही बीमा किया जाता है, खलिहान में रखी फसल का बीमा आवरण नहीं किया जाता है। जिला शासन/राज्य शासन द्वारा अधिसूचित जिलों में घोषित 'अनावारी', 'सूखा घोषणा'/'बाढ़ घोषणा' का फसल बीमा क्षतिपूर्ति से कोई संघ नहीं होता है।

योजनान्तर्गत फसल बीमा क्षतिपूर्ति हेतु 'तहसील/पटवारी हल्का' को यूनिट माना गया है। राज्य शासन का राजस्व विभाग रबी/खरीफ मौसम में General Crop Estimation Survey (GCES) हेतु फसल कटाई प्रयोग रेण्डम पद्धति से जो एक तहसील में प्रत्येक अधिसूचित फसल हेतु कम से कम १६ आयोजित करता है और पटवारी हल्का में प्रत्येक अधिसूचित फसल हेतु कम से कम ४ आयोजित करता है, उसका औसत निकालते हैं, जो उस तहसील/हल्का की वास्तविक उपज कहलाती है। यदि संबंधित तहसील में राज्य शासन द्वारा प्रदाय वास्तविक औसत उपज आंकड़े, शेशहोल्ड उपज से (गेहूँ, धान फसल हेतु पिछले ३ एवं अन्य फसलों हेतु ५ वर्षों की औसत उपज गुणांक क्षतिपूर्ति स्तर ६०/८०/९० प्रतिशत क्षतिपूर्ति स्तर (जो कि मौसमवार, फसलवार, निश्चित होता है) से कम पाये जाते हैं तो उपज में कमी (Shortfall) के आधार पर क्षतिपूर्ति देय होती है। औसत उपज अधिक होने पर क्षतिपूर्ति देय नहीं होती है। वास्तविक औसत उपज शेशहोल्ड उपज से अधिक होने पर क्षतिपूर्ति देय नहीं होती है।

राज्य शासन के राजस्व विभाग द्वारा खरीफ मौसम में औसत पैदावार के आंकड़े ३१ जनवरी तक/तुअर, कपास के आंकड़े ३१ मई तक/केला ३१ दिसंबर तक एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी को उपलब्ध कराये जाते हैं। इसी प्रकार रबी मौसम में औसत पैदावार के आंकड़े ३१ जुलाई तक एवं प्याज फसल के आंकड़े ३० सितम्बर तक उपलब्ध कराये जाते हैं, तत्पश्चात् दावों की गणना कर प्राधिकृत अधिकारी से क्षतिपूर्ति का अनुमोदन मिलने के बाद (खाद्य फसलें एवं तिलहन के लिए) प्राप्त १००% प्रीमियम राशि तक एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी (ए.आई.सी.) एवं उससे अधिक दावा होने पर केन्द्र एवं राज्य शासन से उनके हिस्से की राशि समान रूप से, प्राप्त कर दावों का भुगतान किया जाता है। वार्षिक नगदी एवं वार्षिक बागवानी फसलों हेतु पूर्ण दावा राशि ए.आई.सी. द्वारा भुगतान किया जाता है। दावा फार्मुला निम्नानुसार है:-

उपज में कमी

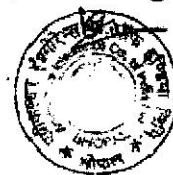
दावा = ————— X बीमित राशि

शेशहोल्ड उपज

उपज में कमी = शेशहोल्ड उपज-वास्तविक औसत पैदावार

दावा प्रक्रिया एक स्वचालित प्रक्रिया है, अतः क्षतिपूर्ति हेतु कृषक को कोई औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। यदि तहसील/पटवारी हल्का की उपज में कमी पायी जाती है तो उस तहसील/पटवारी हल्का के उस फसल के समस्त बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है, क्षतिपूर्ति की राशि बैंक (जिस बैंक से कृषक ने बीमा कराया है) को भेज दी जाती है जो बैंक, कृषक के खाते में समायोजित करता है।

परिशिष्ट-२ - (सूचना)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
प्रमुख अधिकारी

२०२० जनवरी

प्रमाणित [दावा - २]